न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 12/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री देवीप्रसाद गुप्ता (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज, अजमेर
2. मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज, अजमेर

.......अप्रा[illegible]

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं

<u>-: आदेश :-</u>

दिनांक– 04.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जा[illegible] अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा ख[illegible] सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्र[illegible] श[illegible]यो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिका[illegible] ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य [illegible]त्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, [illegible]र्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र, विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेतु दिया गया अपील फार्म नम्बर 8, रेफरल लैब को भेजे गये पार्सल की रजिस्ट्री रसीद, रेफरल, लेब की जाँच रिपोर्ट, निरीक्षण उपरान्त शेष सामग्री का मूल सीजर मेमो

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय [illegible] अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

फार्म 02 व 03, विक्रेता द्वारा दिये गये फूड लाईसेन्स आवेदन तथा प्रोपराईटर के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.04.2024 को 04:00 पी एम पर बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री केसरी नन्दन शर्मा, मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री प्रदीप गुप्ता मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान 500 मिली के 24 पैकेट के 04 कार्टून कुल 48 लीटर घी (जयन्त ब्राण्ड) विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त घी की गुणवत्ता का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु 500मिली के 04 पैकेट, 600/- रूपयें श्री प्रदीप गुप्ता को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घी को विक्रेता के सामने चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4259 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी अंकित किया हैं कि निरीक्षण के समयं मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी पर जयन्त ब्राण्ड घी के 200एमएल के 60 पैकेट के 08 कार्टून (96 लीटर), 500 एमएल के 24 पैकेट के 04 कार्टून (48 लीटर), 01 लीटर के 12 पैकेट के 20 कार्टून (240 लीटर) तथा 15 किलोग्राम के 10टीन घी मौजूद था जिसमें से नमूना लेने के उपरान्त घी को नियमानुसार सीज किया गया। साथ ही मध्या ब्राण्ड के 15 किलोग्राम के 37 टीन तथा 01 के 48 पीस, स्वागत ब्राण्ड घी के 17 ग्राम के 72 पीस के 80 डिब्बे तथा 33 ग्राम के 72 पीस के 36 डिब्बों को भी नियमानुसार सीज कर विक्रेता श्री प्रदीप गुप्ता को सुपुर्द किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/2607 दिनांक 01.05.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. पीएच लैब/एलएस/447/ एक्ट/2024/475 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी जयन्त ब्राण्ड अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेत नियमानुसार फार्म 8 में अपील करने पर नमूने का द्वितीय भाग नियमानुसार रेफरल लैबोरेट्री मैसूरू भिजवाया गया जिसकी जाँच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(819F)2024 दिनांक 30.07.2024 के अनुसार नमूना अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 17.04.2025 को परिवाद प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.05.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 04.07.2025 को अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि नमूना घी में फोलिक एसिड को निर्धारित मानक से कम होना पाया गया, अप्रार्थी को फोलिक एसिड व अन्य नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण घी का नमूना अवमानक पाया गया है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सीज किया गया उत्पाद मेरे द्वारा निर्मित नहीं किया गया है तथा अन्य कम्पनी से क्रय किया गया है एवं सम्पूर्ण रूप से पैक्ड व सीलबन्द ही क्रय किया गया है तथा ग्राहकों को इसी पैकिंग में विक्रय किया जाता है। वर्तमान में उक्त कम्पनी से क्रय करना बन्द कर दिया है, भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी तथा खाद्य सुरक्षा के नियमों की पूर्ण पालना की जायेगी। प्रार्थी ने उत्पाद को सीज कार्यवाही से मुक्त किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये घी (जयन्त ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी (जयन्त ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी प्रदीप गुप्ता को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियमम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता पर रु. 50,000/- (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 04.07.2025 से एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायहित में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री देवीप्रसाद गुप्ता (प्रोप्राईटर एवं विक्रेता), मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज, अजमेर का अधिगृहित किये गये जयन्त ब्राण्ड घी के 200 एमएल के 60 पैकेट के 08 कार्टून (96 लीटर), 500 एमएल के 24 पैकेट के 04 कार्टून (48 लीटर), 01 लीटर के 12 पैकेट के 20 कार्टून (240 लीटर) तथा 15 किलोग्राम के 10 टीन घी, मध्या ब्राण्ड के 15 किलोग्राम के 37 टीन तथा 01 के 48 पीस, स्वागत ब्राण्ड घी के 17 ग्राम कें 72 पीस के 80 डिब्बे तथा 33 ग्राम के 72 पीस के 36 डिब्बों को अधिग्रहण से छोड़ा जाकर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अधिग्रहित किये गये घी का खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसर निस्तारण किये जाने की कार्यवाही की जाकर, इस न्यायालय को निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.07.2025. को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री देवीप्रसाद गुप्ता (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज, अजमेर
5. मैसर्स भारत सेल्स एजेन्सी, ब्ल्यू कैसल, केसरगंज, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर